रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

73 वें स्वतन्त्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लागिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

13वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनायें

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –41 ● अंक –16 ● कानपुर 16 से 31 अगस्त 2019 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के स्थापना दिवस पर संकल्प

साध्यता हेतु स्वास्थ्य महानिदेशालय से करेंगे सम्पर्क

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया का 42 वां स्थापना दिवस समारोह एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक केन्द्र में समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ इस अवसर पर भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा जारी अन्तरविभागीय समिति की रिपोर्ट पर गम्भीर विचार विमर्श के बाद निश्चय किया गया कि रिपोर्ट में वांछित साक्ष्यों एवं प्रमाणों की पूर्ति के सम्बन्ध में महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

विदित हो कि अन्तरविभागीय समिति में महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं वह सकारात्मक हैं जिससे साध्यता सम्भव हो सकती है, प्रतिनिधि द्वारा कुछ उदाहरण भी दिये गये हैं जिससे यह आभास होता है कि महानिदेशालय से सम्पर्क के पश्चात अन्तरविभागीय समिति द्वारा वांछित की पूर्ति सम्भव हो सकती है, महानिदेशालय के प्रतिनिधि द्वारा दिये गये सुझाव पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पहले से ही कार्य किया जा रहा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा विभिन्न प्रकार के आकड़ों के संकलन हेतु प्रपत्र भी जारी किये जा चुके हैं जो एसोसिएशन के पोर्टल पर उपलब्ध हैं इन प्रपत्रों की पूर्ति कर क्रमशः चिकित्सकों, विद्यालयों, प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली संस्थाओं, औषधि निर्माताओं एवं औषधि विक्रेताओं की गणना सहजता से की जा सकती है।

ज्ञातव्य हो कि इलेक्ट्रो होम्यो पैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के अनुरोध पर भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा ,अनुसंधान एवं विकास के लिए 21 जून, 2011 को देश के समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को निर्देशित किया है कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 25–11–2003 एवं 05–05–2010 को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान के सन्दर्भ में भारत सरकार का निर्देश माना जाये। 21 जून, 2011 के आदेश को भारत सरकार ने रिगुलेट्री आदेश के तौर पर भी स्वीकार किया है जिसका उल्लेख अनेक संस्थाओं द्वारा समय समय पर किया जाता है इसीलिए इलेक्ट्रो होम्यो पैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया एक स्वतन्त्र नियामक के रूप में लगातार कार्य कर रही है क्योंकि भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास के लिए इसे ही आदेश जारी किया है।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने अपने पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 द्वारा इस आदेश के जारी रहने की पुष्टि की है।

समारोह में इस अवसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के संस्थापक सदस्य डा0 संजय कुमार द्विवेदी द्वारा पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी शीर्ष संस्थाओं, चिकित्सक संगठनों, औषधि निर्माताओं आदि से सम्पर्क कर भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय

शेष अंतिम पेज पर

भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट में विदाई समारोह सम्पन्न

जौनपुर के पानदरीबा स्थित भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट पानदरीबा में 43 वां स्थापना दिवस सम्पन्न हुआ, इस अवसर पर मुख्य अतिथि डा0 सतेन्द्र सिंह वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक व जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल ने डा0 काउण्ट सीज़र मैटी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। दूर दूर से आये हुए चिकित्सकों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा अन्तिम वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों को चिकित्सकीय प्रमापत्र देकर उन्हें मानव सेवा हेतु चिकित्सा अभ्यास की शुभकामनायें दीं।

विशिष्ट अतिथि डा0 संजय यादव ने कहा कि यह इन्सटीट्यूट निरन्तर 43 वर्षों से निःशुल्क चिकित्सा शिविर, सेमिनार, गोष्ठी एवं वर्कशॉप आदि का कार्यक्रम करता रहा है जिससे हज़ारों रोगियों को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से लाभ मिला है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक सरल कम ख़र्चीली व विष रहित एवं मात्र 114 जड़ी–बूटियों से निर्मित एक पद्धति है, यह पेड़ पौधों की आदि शक्ति को जिसमें आकर्षण शक्ति, ताप शक्ति तथा विद्युत शक्ति सम्मलित होती है जो पेड़ पौधे अपने जीवन काल में अपने अन्दर ग्रहण किये होते हैं उसी को चिकित्सा पद्धति में कोहेबेशन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है इस प्रकार ऐसे ही शक्ति का प्रयोग चिकित्सा शास्त्र में किया जाता है जिसके कारण शीघ्र अरोग्य प्रदायिनी में सफलता मिलती है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता डा0 राम सूरत मौर्य समासद पान दरीबा वार्ड ने तथा संचालन प्राचार्य डा0 प्रमोद कुमार मौर्या ने किया।

अन्त में संरक्षक डा0 जे0 के0 चौरसिया द्वारा सभी आये हुए अतिथियों का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया,

कार्यक्रम में मुख्य रूप से डा0 शमीम अहमद, डा0 एस0 एल0 चौधरी, डा0 अशोक विश्वकर्मा, डा0 नदीम हुसैन, डा0 आर0 के चित्रवंशी, डा0 एन0 के0 अस्थाना, डा0 संजीव प्रजापति आदि उपस्थित दर्ज करायी एवं अपने विचार प्रकट किये।

भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट जौनपुर के बिदाई समारोह में मंच पर बायें से दायें क्रमशः श्री तारिक अली खान, डा0 एन0के0 अस्थाना, डा0 जे0के0 चौरसिया, डा0 सत्येन्द्र सिंह(मुख्य अतिथि), डा0 शमीम अहमद, डा0 मो0 अतहर, तथा डा0 पी0के0 मौर्या (प्राचार्य)– छाया गज़ट

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जन स्वीकारिता बढ़ानी होगी

हम निरन्तर गत कई वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ केन्द्र एंव राज्य सरकारों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संरक्षण की बात कर रहे हैं, इसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है 21 जून, 2011 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास हेतु सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश भी जारी किये गये थे अनेक राज्यों ने इस पर अपनी सहमति भी जतायी है कुछ ने समय आने पर लागू करने की बात कही है इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा अनुभाग–6 ने दिनांक 4 जनवरी, 2012 को बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में शासनादेश जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा एंव शिक्षा को सुगम कर दिया है इसके अनुपालन में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 ने भी प्रदेश के समस्त अपर निदेशकों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को शासनादेश के अनुपालन के लिए निर्देश जारी किये हैं।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी व्यवसायिक शिक्षा परिषद के अधीन एडवांस डिपलोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स प्रारम्भ किया गया था जो अब डिपलोमा के स्थान पर प्रमाण पत्र कोर्स कर दिया गया है इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के उन्नयन के लिए अन्य योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है हरियाणा राज्य के स्वास्थ्यमंत्री द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति विशेष रूचि दिखायी जा रही है राजस्थान राज्य के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संगठनों द्वारा सरकार के विरूद्ध आन्दोलन चलाने की सूचनायें प्राप्त हो रही हैं, उत्तराखण्ड राज्य भी इसी राह में चल पड़ा है आशा है कि शीघ्र ही उत्तराखण्ड राज्य से भी अच्छी सूचना प्राप्त हो सकती है।

भारत सरकार द्वारा भी इसी क्रम में 28 फरवरी, 2017 से इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित अन्य गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता देने के लिए एक अन्तरविभागीय समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा विभिन्न चरणों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने में विशेष रूचि दिखायी गयी अन्तरविभागीय समिति ने इस सम्बन्ध में निरन्तर बैठकें कर यह प्रयास करने का प्रयास किया कि दावेदारों द्वारा उसके द्वारा वांछित सूचनायें, साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत कर दिये जायें जिससे वह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता देने की संस्तुति कर सकें इसके लिए उसने दावेदारों को कई अवसर देते हुए संयुक्त प्रपोज़ल, संशोधित संयुक्त प्रपोज़ल की भी मांग की, प्रपोज़ल सुसंगत प्रस्तुत किये गये लेकिन प्रपोज़ल वांछित सूचना, साक्ष्य एवं अभिलेख विहीन था जिसके कारण सकारात्मक टिप्पणी के साथ अन्तर विभागीय समिति ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने से इनकार कर दिया तथा स्पष्ट किया कि वर्तमान नीति के तहत सरकार का वर्तमान गैर मान्यता प्राप्त संचालित चिकित्सा पद्धतियों को रोकने का कोई इरादा नहीं है उसने यह भी स्पष्ट किया कि अनिवार्य एवं एच्छिक मापदण्डों के बिना मान्यता देना सम्भव नहीं है। कमेटी की संस्तुति से इलेक्ट्रो होम्योपैथों का दायित्व बढ़ जाता है कि वह समाज में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अधिकाधिक स्वीकारता बढ़ायें, समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार चाहे तो इसके लिए कानून बना सकती है ऐसे कानून समिति को प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि अन्तरविभागीय समिति राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। अन्तर विभागी समिति की रिपोर्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्वतन्त्रता पर कोई रोक तो नहीं लगाती है लेकिन उसने कार्य के लिए आवश्यक सुझाव भी दिये हैं अब इन सुझाव को समुचित ढंग से प्रयोग करने के लिए आपसी सामंजस्य विधिक प्राविधानों का पालन आवश्यक अनुमति/अनापत्ति के बिना असम्भव है इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों/इकाईयों एवं समूहों को चाहिये कि वह आपस में सामंजस्य बनाते हुए वांछित मापदण्ड पूर्ति करने के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनायें जिससे आवश्यक वांछित सूचनायें, साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा एक मात्र जारी नियामक आदेश दिनांक 21 जून, 2011 के धारक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया से इस सम्बन्ध में सहायोग एवं समर्थन प्राप्त कर सकते हैं और अपने आपको सक्षम बनाते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता में अपना योगदान दे सकते हैं तथा समाज में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जन स्वीकारिता भी बढ़ा सकते है ।

कार्य में पारदर्शिता आवश्यक

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास का कार्य अनवरत चल रहा है और निर्बाध रूप से चलता ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो कुछ भी हो रहा है वह सबकुछ विधि सम्मत ढंग से है।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 3 जुलाई, 2019 से यह स्पष्ट हो गया है कि अन्तरविभागीय समिति की संस्तुतियां पूर्णतयः इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पक्ष में हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के दावेदारों द्वारा जो दावे किये गये हैं वह खोखले साबित हो रहे हैं, अन्तरविभागीय समिति ने मान्यता के सम्बन्ध में जो बिन्दु निर्धारित किये थे वह उस पर पूरी तरह से अटल है और आज भी वह चाहती है कि उन बिन्दुओं की पूर्ति समुचित ढंग से कर दी जाये तो वह मान्यता देने के लिए संस्तुति देने में पीछे नहीं रहेगी, दावेदारों द्वारा अन्तरविभागीय समिति के समक्ष जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया वह तथ्य रहित, आधारहित एवं साक्ष्य रहित पाये गये, अन्तरविभागीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर जिस तरह की प्रतिक्रियायें की गयीं वह स्वस्थ्य परम्परा के अनुकूल नहीं है अधिकांश लोगों ने यह समझ लिया है कि सम्भव है कि सरकार कोई प्रतिकूल कार्यवाही करे, जबकि यह मात्र भ्रम है अनैतिक, अपारदर्शी एवं अवैधानिक कृत्य के विरूद्धसदैव कार्यवाही सम्भव है।

अन्तरविभागीय समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात से दावेदार तरह तरह के दाँव आज़माने लगे हैं जो ठीक नहीं है ऐसे लोगों को भलीभांति यह जान लेना चाहिये कि बिना नियन्त्रण व नियमन के कोई कार्य सम्भव नहीं है अब नियन्त्रण और नियमन विधिक हो या स्वतन्त्र ! यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है और कोई भी कार्य बिना नियन्त्रण व नियमन के उचित भी नहीं है, इसको इस तरह समझ लें कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चिकित्सक किसी न किसी संस्था से अर्हताधारी है कोई ऐसा चिकित्सक नहीं होगा जिसके पास कोई प्रमाणपत्र न हो और यदि कोई ऐसा चिकित्सक है जिसके पास प्रमाणपत्र नहीं है तो वह अनर्हताधारी कहलायेगा और ऐसे व्यक्ति को चिकित्सक नहीं माना जा सकता है।

विचार करने का विषय है कि हम शिक्षण कार्य तो करेंगे शिक्षक भी रखेंगे किन्तु उसकी अर्हता का उल्लेख नहीं करेंगे यह कैसे सम्भव हो सकता है ! शिक्षक की अर्हता तो दर्शानी ही पड़ेगी और मांगे जाने पर उपलब्ध भी कराना होगा यह आवश्यक नहीं कि उसकी अर्हता की मांग कौन कर रहा है?उचित तो यह है कि संस्थान के नोटिस बोर्ड पर भी उसका प्रदर्शन किया जाये यदि हम वास्तव में कार्य करना चाहते हैं तो हमें अपने कार्य में पारदर्शिता रखनी ही होगी इसके बिना कार्य चलने वाला नही है, ऐसी ही स्थिति औषधि निर्माण और विक्रय के क्षेत्र में भी है, औषधि निर्माता औषधि निर्माण तो करते हैं परन्तु अधिकारिता स्पष्ट नहीं करते जबकि अन्तरविभागीय समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि औषधियों का निर्माण किया जा रहा है किन्तु कमेटी के समक्ष साक्ष्य और प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं समिति ने स्वतः यह भी स्वीकार कर लिया है कि औषधियां जर्मनी में बनती हैं तथा भारत में आयात की जाती हैं समिति के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि औषधि निर्माण की अनेकों इकाईयां यथः हिमांचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उ0प्र0, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्य में स्थापित हैं किन्तु इनके विषय में कोई विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है औषधि निर्माण बहुत ही संवेदनशील विषय है जिसका सम्बन्ध सीधे जीवन से है इसपर किसी भी प्रकार का समझौता सम्भव नहीं है।

औषधि निर्माण के विषय में गम्भीरता की बहुत आवश्यकता है इसमें किसी भी प्रकार की हीला हवाली का कोई स्थान नहीं है हालांकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों के निमार्ण के विषय में अन्तरविभागीय समिति ने जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया को प्रतीक रूप में मानकग्रन्थ स्वीकार किया है जैसा कि उसकी रिपोर्ट से स्वतः प्रतीत भी होता है, अन्तरविभागीय समिति द्वारा सहयोग तथा समर्थन प्राप्त होने के पश्चात भी यदि दावेदार अपने कार्य में पारदर्शिता स्थापित नहीं कर पाते हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न होगा अतः दावेदारों को अपने कार्यों में पारदर्शिता स्थापित करने मे पहल करनी ही होगी।

बलीपुर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टडी सेन्टर जनपद गऊ में स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित प्रतिभागीगणों को सम्बोधित करते हुये बोर्ड की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य डा0 अयाज़ अहमद – छाया गज़ट

स्थापना दिवस * के कार्यक्रम

मऊ,– वलीदपुर स्थित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टडी सेन्टर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया का 42 वां स्थापना दिवस समारोह धूम धाम से मनाया गया स्टडी सेन्टर के प्रभारी तथा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य डा0 अयाज़ अहमद ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की स्थापना 25 जुलाई, 1978 में कानपुर में हुयी थी तब से लगातार यह संस्था इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास तथा अनुसंधान के लिए कार्य कर रही है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस, शिक्षा एवं अनुसंधान पर किसी प्रकार की रोक नहीं है 21 जून, 2011 का भारत सरकार का आदेश इसी संस्था के प्रयासों का प्रतिफल है जो आज भी प्रभावी है 03 जुलाई, को आई0 डी0 सी0 की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है, इस कार्यक्रम में डा0 खलीकुज्जमा, आलोक कुमार, राहुल कुमार, परवीन कुमार, अबुल कैश, नसीम, नन्दलाल आदि चिकित्सक उपस्थित थे।

लखनऊ स्थित अवध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया का 42वां स्थापना दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया सर्वप्रथम डा0 विनोद–बी0एच0 एम0एस0 ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डा0 काउण्ट सीज़र मैटी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इन्सटीट्यूट के प्राचार्य डा0 आर0 के0 कपूर ने वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध पर चर्चा करते हुए कहा कि यह समय सबसे मज़बूत स्थिति में है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने आदेश दे रखे हैं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हैं इस कार्यक्रम में पुराने कई बैचों के छात्र सम्मिलित हुए जिनमें प्रमुख रूप से डा0 राजेन्द्र प्रसाद बैच 1991, डा0 महेन्द्र 1993 डा0 दीप खत्री 1985, डा0 दीक्षित 1995, डा0 अजय शर्मा 2015, श्रीमती रूबी राज 2017 एवं श्री आमिर आदि उपस्थित थे।

महाराजगंज– (नौतनवां) इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर डी0 एल0 एम0 मेडिकल स्टडी सेन्टर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें मेडिकल शिविर लगाया गया तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जानकारी देने हेतु जनसम्पर्क अभियान भी चलाया गया, यह जनसम्पर्क चिकित्सक एवं शिक्षार्थियों ने संयुक्त रूप से किया, घर घर जाकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बताया तथा इसकी चिकित्सा के लाभ की जानकारी भी दी।

फिरोजाबाद–बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के मीडिया प्रभारी डा0 शिव कुमार पाल की अध्यक्षता में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (इहमाई) का 42 वां स्थापना दिवस समारोह बड़े धूम धाम से मनाया गया, कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुये डा0 शिव कुमार पाल ने बताया कि इहमाई अपने कर्तव्यों का निर्वाहन सदैव करती रहती है चाहे सरकार से सम्पर्क करना हो या फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थाओं से सामंजस्य स्थापित करना यह सदैव आगे बढ़कर नेतृत्व करती है, कार्यक्रम में सर्वश्री डा0मो0 सलीम डा0 हरीओम शर्मा, डा0 दिनेश कुमार, डा0 रणवीर शास्त्री आदि ने अपने विचार व्यक्त किये।

भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट जौनपुर के विदाई समारोह में दीप प्रज्वलित करते डा0 सतेन्द्र सिंह (मुख्य अतिथि) एवं डा0 पी0के0 मौर्या (प्राचार्य)

स्थापना दिवस के अवसर पर फिरोजाबाद में डा0 रणवीर शास्त्री साथ में प्रभारी डा0 शिव कुमार पाल आदि – छाया गजट

स्थापना दिवस के अवसर पर फिरोजाबाद में प्रभारी डा0 शिव कुमार पाल के साथ संयुक्त रुप से मैटी को माल्यार्पण करते हुये।

स्थापना दिवस समारोह के आयोजन में संलग्न डी0एल0एम0 मेडिकल स्टडी सेन्टर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, महाराजगंज का स्टाफ – छाया गजट

डी0एल0एम0 मेडिकल स्टडी सेन्टर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, नौतनवां, महाराजगंज द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया का स्थापना दिवस समारोह आयोजित करते हुये – छाया गजट

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के स्थापना दिवस पर संकल्प प्रथम पेज से आगे

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा वांछित सूचनाओं एवं साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए रणनीति को अन्तिम रूप प्रदान करने का कष्ट करें।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ कार्य करता रहा है और हम अन्तरविभागीय समिति की रिपोर्ट पर गहनता से अध्ययन कर रहे हैं और रिपोर्ट के अनुसार ही वांछित की पूर्ति करने हेतु रणनीति पर विचार करते हुए उसमें कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है शीघ्र ही लिए वांछित की पूर्ति कराने में अग्रसर होंगे।

इस अवसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोएिसशन ऑफ इण्डिया के महासचिव डा0 अतीक अहमद ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा किये गये कार्यों पर विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि एसोसिएशन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं संस्थाओं के संरक्षण के प्रति सदैव सजग रहती है अपनी इसी रणनीति के तहत वर्तमान समय में कार्ययोजना पर कार्य कर रही है। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही एसोसिएशन की राष्ट्रीय परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की जायेगी जिसमें भावी रणनीति पर विचार कर आगे की योजना को अंतिम रुप दिया जायेगा।

अवध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीटयूट लखनऊ के प्रधानाचार्य डा0 आर0 के कपूर श्रीमती रुबी राज के साथ डा0 मैटी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुये

अवध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीटयूट लखनऊ के भवन का एक दृश्य

इण्डिया के संयुक्त सचिव डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा संगठन सदैव अग्रणी रहकर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की शीर्ष संस्थाओं, चिकित्सक संगठनों एवं औषधि निर्माताओं से सम्पर्क कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के

स्वतन्त्रता का मतलब समझना होगा

गत दिवस हमने 73 वां स्वतन्त्रता दिवस मनाया इस अवसर पर हम सबने आजादी के जश्न में बराबर की हिस्सेदारी की परन्तु स्वतन्त्रता का मतलब अभी तक नहीं समझा, चूँकि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं इसलिये हमारी स्वतन्त्रता भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुडी है लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कानून नहीं है, यह सत्य है कि अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कानून नहीं है लेकिन यह देश कानून का है यहाँ कानून का राज है हर काम कानून के अन्तर्गत होते हैं तो फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी उससे अलग कैसे हो सकती है ?डिग्री, डिपलोमा देने प्रैक्टिस करने व दवा बनाने के कुछ नियम हैं ऐसा नहीं है कि जिसकी जो मरजी हो वह करे इसलिये जिसका भरोसा ऐसी स्वतन्त्रता पर है कि हमें मन मर्जी करनी है उन्हें स्वतन्त्रता शब्द के अर्थ समझने होंगे। सभी चिकित्सकों को अधिकार प्राप्त संस्था से शिक्षण प्राप्त करना चाहिये।

शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को अधिकार प्राप्त शीर्ष संस्था से सम्बद्धता प्राप्त कर ही शिक्षण कार्य करना चाहिये इसी प्रकार औषधि निर्माताओं को औषधि निर्मित करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिये।

अवध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीटयूट लखनऊ में स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर उपस्थित डा0 विनोद, डा0 राजेन्द्र प्रसाद, डा0 महेन्द, डा0 दीप खत्री डा0 दीक्षित, डा0 अजय शर्मा, डा0 श्रीमती रुबी राज, डा0 आसुतोष कपूर अपर प्रबंधक तथा प्राचार्य डा0 आर0 के कपूर आदि – छाया गज़ट